

आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 44/2026 अनवान बट्टीसिंह गहलोत व अन्य बनाम

स्व० सज्जनसिंह के कायम मुकाम वगैरा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01.05.26	<p>पत्रावली वकील अपीलांट श्री जयपाल चौधरी द्वारा दिनांक 08.04.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सपठित धारा 151 सीपीसी के क्रम में तलब की गई थी। रेस्पोंसों 1/1 से 1/4 की ओर से श्री महेश्वर वैष्णव ने दिनांक 08.04.2026 को जवाब अपील के साथ अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली है।</p> <p>अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 राज० भू राजस्व अधिनियम के तहत अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर द्वारा राजस्व अपील सं० 165/2025 (2025/438) बअनवान सज्जनसिंह के कायम मुकामान शक्तिसिंह वगैराह बनाम शेरसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 23.09.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोंसों 1 से 4 यानि स्व० सज्जनसिंह के उत्तराधिकारियों की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार कर तहसील जोधपुर स्थित ग्राम चैनपुरा के ना०क० सं० 198 दिनांक 08.11.1996 को अपास्त कर खसरा नम्बर 390 से 405 व 405/1, 406 से 408 व 533/406 के</p>	



अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
जोधपुर



संबंध में आदेश पारित किया गया। मौजूदा अपील में अपीलांत द्वारा की गई प्रार्थना को रेस्पोंसों 1 से 4 स्वीकार करते हैं एवं उक्त नांकों 198 दिनांक 08.11.1996 के संबंध में अब किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अपीलांत द्वारा मौजूदा अपील में लिए गये आधार पूर्णतया सही है और उसके आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2025 को अपास्त किया जाता है, तो वह रेस्पोंसों 1 से 4 को स्वीकार है। इस संबंध में रेस्पोंसों 1 से 4 के मध्य आपसी सहमति/रजामंदी का एक इकरारानामा भी अलग से निष्पादित हो चुका है। जिससे उक्त नांकों को लेकर अपीलांत एवं रेस्पोंसों 1 से 4 के मध्य किसी तरह का विवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील स्वीकार किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत होगा। अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2025 को अपास्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पोंसों 1 से 4 के योग्य अधिवक्ता द्वारा जवाब अपील में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन जैर नामान्तरकरण को लेकर अपीलांत एवं रेस्पोंसों 1 से 4 के मध्य अब किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। अपीलांत द्वारा मौजूदा अपील में लिए गये आधार पूर्णतया सही है, उसके आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2025 को अपास्त किया जाता है, तो वह रेस्पोंसों 1 से 4 को स्वीकार है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2025 को अपास्त फरमाने का आग्रह किया गया।

प्रकट तथ्यों एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा लिखित

*du*  
अतिरिक्त सम्भागीय अधिवक्ता  
जोधपुर



अभिकथनों के आधार पर वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर द्वारा राजस्व अपील सं० 165/2025 (2025/438) बअनवान सज्जनसिंह के कायम मुकामान शक्तिसिंह वगैराह बनाम शेरसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 29.09.2015 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **1-5-26** को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

*due* 1/5/26-  
(सुनिता चौधरी)  
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
जोधपुर